प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, शामली।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी0,
जनपद शामली

पत्रांक– 195 /जि0पं0शामली/2018–19 दिनांक– 30-7-2018

महोदय,

कृपय संलग्न पशुपैठ बनत में हुलिया लिखाई एवं लदान–ढुलान की नीलाम सूचना जनपद शामली की वैबसाईट www.shamli.nic.in पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(मुकेश जैन)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली।

D:\OFFICE new\AMA\AMA

Scanned by CamScanner

नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पशु पैठ बनत में हुलिया लिखाई का लाईसेन्स/ठेका तथा पशु लदान–ढुलान का लाईसेन्स/ठेका की नीलाम स्वीकृति की तिथि से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए सार्वजनिक नीलामी दिनांक 13.08.2018 को क्रमशः 12:30 व 01:30 बजे कार्यालय जिला पंचायत शामली मे की जायेगी। उक्त तिथि को उचित बोली प्राप्त न होने की दशा में दिनांक 17.08.2018 को तथा इसके उपरान्त प्रत्येक सोमवार को निर्धारित समय पर नीलाम किया जायेगा। बोलीदाता को बोली से पूर्व प्रत्येक ठेके हेतु जमानत धनराशि अंकन पांच लाख रूपये जंमा करनी होगी, तथा जिलाधिकारी कार्यालय से जारी चरित्र प्रमाण पत्र व रूपये बीस लाख का हैसियत प्रमाण पत्र, पैनकाड, आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। उच्चतम बोलीदाता को अपनी बोली धनराशि का 1/3 भाग नीलाम समाप्त होने पर उसी दिन जमा करना होगा। पशु पैठ के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था ठेकेदार को अपने खर्चे पर करनी होगी। नीलाम संबंधी अन्य शर्ते जनपद शामली की वेबसाईट www.shamli.nic.in पर प्रकाशित है तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत में भी देखी व पढी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

कार्यालय जिला पंचायत, शामली।

पत्रांक– 194 /जि0पं0शा0/2018–19 दिनांक –30-7-2018

प्रतिलिपि–

1. मा0 आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ।
2. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत शामली को सादर सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी महोदय, शामली को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी शामली को सादर सूचनार्थ।
5. नीलाम समिति के सदस्य कर अधिकारी/अभियंता/वित्तीय परामर्शदाता को इस आशय के साथ कि वह नियत तिथी पर नीलाम सम्पन्न कराये।
6. कर अधिकारी एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कर समाहर्ताओं को वृहद प्रचार–प्रसार हेतु।
8. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला व दैनिक हिन्दुस्तान को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अगले स्थानीय अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर प्रकाशन की 4 प्रतियों के साथ बिल जिला सूचना अधिकारी से दर प्रमाणित कराकर कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

D:\OFFICE new\नीलाम निविदा संबंधी सूचना

Scanned by CamScanner